दैनिक भास्कर
बिलासपुर 22-07-2025

प्रदेश में नदियों की बदहाली पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- 19 नदी के उद्गम की रक्षा के लिए बनाएं कमेटी

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने अरपा समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों के संरक्षण को लेकर अहम आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने प्रदेश की 19 नदियों के उद्गम स्थलों को सुरक्षित करने के लिए राज्य शासन को स्पेशल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि नदियों के उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर चिह्नांकित किया जाए। राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी के साथ शपथ पत्र देने कहा गया है। मामले में जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। अधिवक्ता अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी की ओर से लगाई गई याचिकाओं में अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण, प्रदूषण व अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शेष पेज 04 पर

याचिकाकर्ताओं ने बताया- बनाई गई थी भागवत समिति

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि पूर्व में भागवत कमेटी का गठन हुआ था, जो अरपा नदी के संरक्षण में सक्रिय थी। इसके समर्थन में कोर्ट में छह साल पुराने अखबारों की खबरें भी प्रस्तुत की गईं। इस पर कोर्ट ने कहा कि भले ही अरपा के लिए कमेटी बनाई गई हो, लेकिन बाकी नदियों के लिए ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, यह चिंता का विषय है।